निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफे. / जोधपुर / 2008 / 554 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2013

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

विषयः दिनांकः 11.11.2013 से 30.11.2013 तक समाजशास्त्र विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत्।
संदर्भः आपका पत्र क्रमांकः जेएनवीयू / एएससी / 2013 / 7241 दिनांकः 07.10..2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांकः 11.11.2013 से 30.11.2013 तक समाजशास्त्र विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	अशोक कुमार	समाजशास्त्र	राज0 डूंगर महा0, बीकानेर
2	पूनम बजाज	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा0, श्रीगंगानगर
3	विमलेश गुप्ता	समाजशास्त्र	राज0 कला महा0, अलवर
4	हेमलता महावर	समाजशास्त्र	राज0 महा0, चित्तौडगढ़
5	अंजना वर्मा	समाजशास्त्र	राज0 कला महा0, अलवर

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,

(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / निकाशि / रिफे. / जोधपुर / 2008 / 554 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
(अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 11.11.2013 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
(ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
(स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफ्रेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन / रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुऐ अतिरिक्त कक्षाऐं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित व्याख्याता – यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2014 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक